भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 592
जिसका उत्तर गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण

592 श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में शिथिलता दिखा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों के उपरांत उच्च न्यायालयों के चुनिंदा न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश जारी कर रही है ; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कॉलेजियम की सिफारिशों पर स्थानांतरित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है और किन-किन मामलों में अधिक समय लिया गया, तथा अधिक समय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों का स्थानांतरण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 और 28 अक्तूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) की अपनी सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के साथ परामर्श से आरंभ किया जाता है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, एक या एक से अधिक उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों की जो अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में है के अतिरिक्त उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिससे स्थानांतरण किया जाना है, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी जिसमें स्थानांतरण किया जाना है के विचारों को ध्यान में रखने की प्रत्याशा की जाती है ।

सभी स्थानांतरणों को लोक हित में अर्थात् संपूर्ण देश में न्याय के बेहतर प्रशासन का संवर्धन करने के लिए किया जाता है । प्रक्रिया ज्ञापन में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है ।

01 अक्टूबर, 2022 से 01 दिसंबर, 2023 तक उच्च न्यायालयों के 01 मुख्य न्यायमूर्ति और 34 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया है ।

****